

-:: संकल्प ::-

विषय:-

सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के पोषण अभियान के तहत राज्य के 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आँगनवाड़ी सेविकाओं के लिए 1,15,009 स्मार्ट फोन तथा पदाधिकारी/कर्मि एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए 4,839 स्मार्ट फोन अर्थात कुल 1,19,848 स्मार्ट फोन ₹ 10,000/- (दस हजार रुपये) +जी०एस०टी० प्रति फोन की दर से ब्रींग योर ओन डिवाइस (BYOD) नीति के तहत क्रय करने एवं इसके निमित्त कुल ₹ 141,42,06,400/- (एक सौ एकतालीस करोड़ बयालीस लाख छः हजार चार सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति।


राज्य में संचालित आँगनवाड़ी केन्द्रों पर सूचना एवं तकनीक के माध्यम से रियल टाईम अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य निर्बाध रूप से किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र प्रायोजित योजना "मिशन सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0" के पोषण अभियान के अंतर्गत 115009 स्मार्ट फोन आँगनवाड़ी सेविका के लिये एवं 4839 स्मार्ट फोन पोषण अभियान के पदाधिकारी/कर्मि तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए अर्थात कुल 1,19,848 स्मार्ट फोन के क्रय हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-120110 दिनांक-05.05.2025 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण अभियान के क्रियान्वयन हेतु सेविकाओं/महिला पर्यवेक्षिकाओं/ पदाधिकारियों के प्रयोजनार्थ राज्य स्तर पर मोबाईल फोन के क्रय हेतु केन्द्रीयकृत रूप से स्मार्ट फोन क्रय अथवा, ब्रींग योर ओन डिवाइस (BYOD) नीति के तहत सेविका / सहायिका / महिला पर्यवेक्षिका को राशि प्रदान करने का विकल्प दिया गया है।
4. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के पोषण अभियान के तहत राज्य के 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आँगनवाड़ी सेविकाओं/महिला पर्यवेक्षिकाओं/पदाधिकारियों के लिए कुल 1,19,848 स्मार्ट फोन ₹ 10,000/- (दस हजार रुपये) +जी०एस०टी० प्रति फोन की दर से ब्रींग योर ओन डिवाइस (BYOD) नीति के तहत क्रय करने एवं इसके निमित्त कुल ₹ 141,42,06,400/- (एक सौ एकतालीस करोड़ बयालीस लाख छः हजार चार सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
5. उक्त राशि का व्यय केन्द्र प्रायोजित योजना सक्षम आँगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश के निर्धारित अनुपात (60 : 40) में किया जायेगा।

6. ब्रींग योर ओन डिवाइस (BYOD) नीति के तहत मोबाईल फोन के क्रय, उसके स्पेसिफिकेशन और उनमें मोबाईल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से इंस्टॉल किये जाने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-106235 दिनांक-16.05.2025 एवं पत्रांक-102529 दिनांक- 28.03.2023 के द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देश के आलोक में विभाग स्तर से अलग से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत की जायेगी।
7. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय माँग सं०-51 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02 समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102, बाल कल्याण, उपशीर्ष- 0225, पोषण अभियान विपत्र कोड- 51-2235021020225 एवं संगत राज्यांश विपत्र कोड 51-2235021020325 PFMS कोड- 3975 के अन्तर्गत उपलब्ध योजना उदव्यय/बजट उपबंध के अधीन होगा।
8. प्रस्ताव पर संचिका सं०- ICDS/25030/01-2024- के टिप्पणी पृ०-137/टि० पर दिनांक-06.02.2026 को मद संख्या-17 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
9. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

**आदेश:-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(बन्दना प्रेयषी)  
सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- ICDS/25030/01-2024- 564

पटना, दिनांक- 06.02.26

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी०डी० सहित) में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
सचिव

ज्ञापांक- ICDS/25030/01-2024- 564

पटना, दिनांक- 06.02.26

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सचिव

ज्ञापांक- ICDS/25030/01-2024- 564

पटना, दिनांक- 06.02.24

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सचिव

ज्ञापांक- ICDS/25030/01-2024- 564

पटना, दिनांक- 06.02.26

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

  
6/2/2026  
सचिव

ज्ञापांक- ICDS/25030/01-2024- 564

पटना, दिनांक- 06.02.26

प्रतिलिपि :- आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
6/2/2026  
सचिव